न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 32/2018

बाबूलाल पुत्रश्री मन्नाराम उम्र 52 वर्ष जाति रैगर निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर
—वादी

ब ना म

1. मदनलाल पुत्रश्री रामदीन जाति मेहतर } निवासीगण धोद तहसील धोद जिला सीकर
2. भगवानी पत्नी रामदीन जाति मेहतर }
3. प्रेमचन्द पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति बलाई निवासी पेवा तहसील धादे जिला सीकर
4. गिरधारी पुत्र श्री उदाराम जाति बलाई निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. लालूराम } पुत्रगण रामूराम जाति बलाई निवासीगण धोद तहसील धोद जिला सीकर
6. पप्पूराम }
7. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री गणपतलाल वकील वादी की ओर से
2. श्री मनोज भार्गव वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय दिनांक– 20.09.2018

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का 0.1124 है0, प्रतिवादी सं. 1 का 0.1121 है0, प्रतिवादी सं. 2 का 0.39 है0, प्रतिवादी सं. 3 का 0.11 है0, प्रतिवादी सं. 4 का 0.1121 है0 दर हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 2/3 हक हिस्सा रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा न होने के कारण वादग्रस्त भूमि की काश्त करने में काफी परेशानी हो रही है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 654 रकबा

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

2.51 है0 के दक्षिण की ओर से सडक गुजरती है। प्रतिवादीगण रोड़ की लगती हुई भूमि को अपनी बताकर विकय करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति होने के कारण वादी के साथ लडाई झगड़ा करते रहते है तथा वादास्पद भूमि को बिना बंटवारा किये ही विकय करना चाहते है जिनका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। दिनांक 20.06.2018 को प्रतिवादीगण व इनके साथ भूमाफिया गिरोह के व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आये और वादग्रस्त भूमि के महत्वपूर्ण उपजाऊ भाग को अपना बताकर विकय का सौदा करने लगे। वादी द्वारा एतराज करने पर वे नहीं माने और कहा कि हम तो उक्त भूमि को खरीदेंगे। आप जो चाहे वो करों। वादी द्वारा बंटवारा करवाकर ही विकय करने हेतु कहा गया तो वे इंकार हो गये ओर वादी को बेदखल करने की धमकी दी। मौके पर आसपास के दीगर पड़ौसी आ जाने के कारण वे अपनी कामयाबी में सफल नहीं हुए और भाग गये। जाते जाते यह धमकी देकर गये कि मौका मिलते ही हम आपके हक व हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेचान करेंगें। प्रतिवादीगण की उपरोक्त कुचेष्टाओं के कारण वादी के वैध अधिकारों पर भारी आघात उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रतिवादीगण की उपरोक्त कुचेष्टाओं से बाज रहने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद कारण दिनांक 20.06.18 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने से इंकार होने तथा वादग्रस्त भूमि को विकय कर वादी को बलात् बेदखल करने की धमकी देने तथा वादी के कब्जे काश्त में बाधा डालने पर उत्पन्न हुआ। वाद में प्रतिवादी सं. 7 लोक सेवक की श्रेणी में आते है जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान है लेकिन मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने से 2 माह का विधिक नोटिस देकर वाद नियोजन किया जाता है तो वाद नियोजन का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। न्याय हित में बिना 2 माह का विधिक नोटिस दिये ही वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना उचित व आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अलग से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा आर.टी ऐक्ट की तृतीय अनुसूची के अनुसार 3 रूपये के न्याय शुल्क पर सावधि प्रस्तुत है तथा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। अंत में वादी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 654 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम धोद तहसील धोद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

जिला सीकर में वादी को 0.1124 है0 भूमि का अलग बंटवारा किया जाकर अलग नीव सींव कायम की जाकर अलग लगान निर्धारित किया जावें। प्रतिवादीगण को मय परिवारजन, नौकर आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि से वादी को बलात् बेदखल करने, कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने, वादग्रस्त भूमि को बिना बंटवारा करवाये ही विकय करने, उपयोग उपभोग में बाधाएं डालने आदि से सदैव के लिए बाज रहे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री मनोज भार्गव हाजिर हुए एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील वादी एवं प्रतिवादी सें. 1 ता 4 ने मौके एवं रिकार्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

4. बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने मौके एवं रिकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया ।

5. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 654 रकबा 2.51 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है तथा वादी का हिस्सा 0.1124 है0 मुताबिक जमाबंदी अनुसार साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार या उनके वारिसान अपने हिस्से के अनुसार बंअवारा करवाने के हक व अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है–

1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तो उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

संशोधित शीर्षक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर

बाबुलाल पुत्र मन्नाराम जाति रैगर निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर।

3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बट्टा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें।
4. पक्षकारान के आने जाने का रास्ता उपलब्ध नही हो तो विभाजन प्रस्ताव में रास्ता का अंकन करते हुए अलग से नम्बर दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिकी जारी हो। वादी मौका कमिश्नर की फीस 1000/– (एक हजार रूपये) अदा करेंगे। पत्रावली बइंजजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.10.2018 को पेश हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बाबूलाल

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

बनाम

मदनलाल आदि

दावा बाबत बंटवार व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 32 सन् 2018

निर्णय दिनांक 12.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी वकील श्री गणपतलाल मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील श्री मनोज भार्गव मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, धोद के पत्रांक भूअ/19/94 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी निम्न प्रकार से किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव डिकी को भाग रहेगा:–

ग्राम धोद प.मं. धोद

क.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा
1.	श्री बाबूलाल पुत्र मन्नाराम जाति रैगर सा.देह	654 मि.	0.1124
		किता–1	0.1124
2.	श्री गिरधारी पुत्र उदाराम जाति बलाई नि. राजपुरा तहसील दांतारामगढ	654 मि.	0.1121
		किता–1	0.1121
3.	श्री मदनलाल पुत्र रामदीन जाति मेहतर सा.देह	654 मि.	0.1121
		किता–1	0.1121
4.	श्री प्रेमचन्द पुत्र अर्जुनलाल जाति बलाई सा0 पेवा	654 मि.	0.1100
		किता–1	0.1100
5.	भगवानी पत्नी रामदीन रकबा 0.39 है0 जाति मेहतर (हरिजन) सा.देह नारायणी, कमला, सोनी पुत्रियां रामूराम 3/4 हि. गोमती पत्नी गोपाल, पिंटु, दलीप पि. गोपाल, सुमन, सुनिता पुत्रियां गोपाल 1/4 हि. दर रकबा 1.6734 है0 कौम मेघवंशी सा.देह	654 मी. (रास्ता प्रयोजनार्थ)	0.1176
		654 मी.	0.2355
		654 मी.	1.7103
		किता–3	2.0634

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

तारीख वसूलयाबी तफ का अदा करें।

आज सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह अक्टूबर सन् 2018 को जारी की गई ।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मुख्यालय सीकर (राज.))

मुहर

दस्तखत (हस्ताक्षर)

ओहदा उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालत नाम	01	00
स्टाम्प वकालत नामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान	04	00	मिजान	01	00

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान ...
... का पक्षकारान के मध्य अच्छी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 32 / 2018

बाबूलाल पुत्रश्री मन्नाराम उम्र 52 वर्ष जाति रैगर निवासी धोद तहसील धोद जिला सीकर
–वादी

ब ना म

1. मदनलाल पुत्रश्री रामदीन जाति मेहतर } निवासीगण धोद तहसील धोद जिला सीकर
2. भगवानी पत्नी रामदीन जाति मेहतर }
3. प्रेमचन्द पुत्र श्री अर्जुनलाल जाति बलाई निवासी पेवा तहसील धोद जिला सीकर
4. गिरधारी पुत्र श्री उदाराम जाति बलाई निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. लालूराम (नाऔलाद फौत)
6. पप्पूराम (नाऔलाद फौत)
   पुत्रगण रामूराम जाति बलाई निवासीगण धोद तहसील धोद जिला सीकर
7. तहसीलदार, धोद जिला सीकर
8. नारायणी } पुत्रियां रामूराम
9. कमला }
10. सोनी }
11. गोमती पत्नी गोपाल
12. पिन्टू }
13. दलिप } पुत्रगण (पुत्रियां) गोपाल
14. सुनीता }
15. सुमन }

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री गणपतलाल वकील वादी की ओर से
2. श्री मनोज भार्गव वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक–

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner